फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी .....ओमप्रकाश मेनारिया.....विपक्षी .....भॅवरलाल मेनारिया.....

किस्म मुकदमा.....वाद..... पत्रावली संख्या.....149.....सन.....19.....

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 27.11.2019 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता श्री हिरालाल कटारिया उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा गत सुनवाई दिनांक को प्रा0प0 आदेश 1 नियम 10 जा.दी का पेश किया जाकर शामील फाईल है। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के जवाब एवं तलबी प्रतिवादी संख्या 11 हेतु विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर आया की वादी एवं वादी अधिवक्ता लगातार पीछली तीन सुनवाई तारिखों से उपस्थित नहीं हो रहे है। आज भी वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवायी गई, किन्तु वाद अथवा वादी अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय समय समाप्त होने तक वादी अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए जिससे जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गम्भीर नही हैं या वादी अपने वाद में पैरवी नहीं करना चाहता हैं। अतः वादी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। प्रकरण में मूल वाद खारिज हो जाने से प्रार्थी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का स्वतः निरस्त हो गया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आज एक और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण से सम्बद्ध एक अन्य प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 रा0का0 अधिनियम का पूर्व में न्यायालय द्वारा तावाद निस्तारण स्थगन जारी करते हुए निर्णित किया गया है, जिसे भी मूल वाद के खारिज होने से स्वतः निरस्त हो जाने का अंकन निर्णय में अंकित कराया जावे। अतः इस बाबत यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधिनियम, सदैव मूल वाद से सम्बद्ध होकर मूल वाद के निस्तारण के साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय भी निष्प्रभावी हो जाता है जिससे उक्त वाद प्रकरण आज अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाने से प्रकरण से सम्बद्ध प्रार्थना पत्र 272/11 में जारी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) गिर्वा – उदयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.01.24 15:14:08 IST
Reason: SelfAttested